संख्या:–   /XXVII(1)/2006

प्रेषक,

एल0एम0पन्त,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
सम्बंधित नगरपालिका परिषद,
उत्तरांचल (संलग्न सूची के अनुसार)।

वित्त अनुभाग–1

देहरादून:: दिनांक:: / मार्च,2006

विषय:– प्रथम राज्य वित्त आयोग, उत्तरांचल की संस्तुतियों के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2005–06 की समनुदेशन की रोकी गई 30 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रथम राज्य वित्त आयोग, उत्तरांचल की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश की शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2005–06 में 70 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा 30 प्रतिशत धनराशि उनके वित्तीय तथा संस्थागत कार्य निष्पादन से सम्बद्ध कर रोकी गई थी। समस्त नगरपालिका परिषदों की रोकी गई कुल धनराशि रू0 123784000.00 (रू0 बारह करोड़ सैंतीस लाख चौरासी हजार मात्र) संक्रमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तें एवं प्रतिबन्धों की अधीन संक्रमित की जा रही है:–

(1) संक्रमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिए बिल सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसे प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिसके लिए संक्रमित की गई है।

(2) नगर विकास विभाग संक्रमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिए उत्तरदायी होंगे। कोषागार से आहरित धनराशि का बाऊचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार, उत्तरांचल एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेगें।

(3) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक

लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व हो की उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

3– इस सम्बंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–01–नगरीय स्थानीय निकाय–192–नगर पालिका/नगर निकाय–03–राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्नः– यथोक्त।

भवदीय,

(एल0एम0पन्त)
अपर सचिव,वित्त

संख्याः–397(1)/XXVII(1)(1)/2006 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।
2– आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/ कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल।
3– निदेशक शहरी स्थानीय निकाय, माता मन्दिर मार्ग, अजबपुर, देहरादून।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
6– विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य /वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
7– महालेखाकार, उत्तरांचल आबेरार्य माटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
8– निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी , उत्तरांचल।
9– एन0आई0सी0 सचिवालय, उत्तरांचल, देहरादून ।

आज्ञा से,

1/3/2006

(एल0एम0पन्त)
अपर सचिव,वित्त

(धनराशि हजार रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	नगरपालिका परिषद का नाम	आवंटित शेष 30 प्रतिशत धनराशि
1	*2*	*3*	*4*
-	उत्तरकाशी	1–उत्तरकाशी	2434
-	चमोली	2–जोशीमठ	1980
-		3–चमोली	2233
-	टिहरी	4–नई टिहरी	2862
-		5–नरेन्द्र नगर	937
-	देहरादून	6–मसूरी	4888
-		7–विकास नगर	1169
-		8–ऋषिकेश	5594
-	पौड़ी गढ़वाल	9–दुगड्डा	471
-		10–कोटद्वार	2382
-		11–श्रीनगर	2232
-		12–पौड़ी	5568
-	चम्पावत	13–टनकपुर	1482
-	नैनीताल	14–रामनगर	4417
-		15–नैनीताल	3612
-		16–भवाली	496
-		17–हल्द्वानी	12108
-	ऊधमसिंह नगर	18–जसपुर	3679
-		19–काशीपुर	8719
-		20–बाजपुर	2042
-		21–गदरपुर	1277
-		22–रुद्रपुर	8317
-		23–किच्छा	2860
-		24–सितारगंज	2057
-		25–खटीमा	1349
-	हरिद्वार	26–रुड़की	9001
-		27–मंगलौर	4013
-		28–हरिद्वार	16406
-	पिथौरागढ़	29–पिथौरागढ़	4630
-	अल्मोड़ा	30–अल्मोड़ा	3443
-	बागेश्वर	31–बागेश्वर	1126
		योग:–	123784

रह करोड़ सैंतीस लाख चौरासी हजार मात्र)

1/3/2006

(एल0 एम0 पन्त)
अपर सचिव, वित्त।